International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019, pp.148-156

भारतीय विकास में पुलिस प्रशासन–पुलिस जनता संबंध सकारात्मक अवधारणा

निदेश शर्मा*

प्रस्तावना

प्रत्येक समाज में शान्ति, कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने का कार्य अनादिकाल से ही महत्वपूर्ण है। समाज में असुरक्षा के वातावरण में न तो कोई नागरिक अपना विकास कर सकता है और न ही राष्ट्र। प्रत्येक समाज में नागरिकों का चहुॅमुखी विकास इस पर निर्भर करता है कि सरकार किस सीमा तक कानून एवं शान्ति की व्यवस्था बनाये रखने में सक्षम है। सरकार अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों को समाज में शान्ति के वातावरण में ही प्राप्त कर सकती हैं।

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी का युग है विज्ञान के क्षेत्र में नवीन आविष्कारों ने जहॉ समाज के रूप एवं व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया वहीं नागरिकों की आकांक्षाओं में भी इनके कारण परिवर्तन आया हैं। लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा से राज्य की भूमिका में भारी वृद्धि हुई है व आज समाज का कोई भी क्षेत्र राज्य की जकड से परे नहीं हैं। आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका के कारण राज्य पर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की मूलभुत आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आन पडा है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों से सम्बन्धीत समस्याओं के निवारण हेतु सार्वजनिक नीतियों व कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन लोक प्रशासन के प्रमुख दायित्व बन गये है।

राष्ट्र में व्याप्त इन गम्भीर समस्याओं के निवारण हेतु यह परम आवश्यक है कि समाज में शान्ति व व्यवस्था का वातावरण बना रहे जिससे लोकप्रशासन निर्विध्न रूप से सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक कर सके। समाज में कानून व्यवस्था एवं शान्ति बनाये रखने हेतु पुलिस प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक कुशल, प्रभावी, उत्तरदायी एवं संवेदनशील पुलिस तंत्र, प्रजातांत्रिक समाज की वर्तमान युग में एक मूलभुत आवश्यकता है अतः प्रत्येक राज्य अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल पुलिस तन्त्र की स्थापना करता हैं।

राज्य में उसके पुनर्गठन के पश्चात् सरकार का ध्यान पुलिस प्रशासन व्यवस्था की ओर गया व प्रारम्भ से ही इसको समक्ष एवं प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर व्यापक नीतियों व प्रशासकीय निर्देशों द्वारा प्रयास किया गया। समाज में शान्ति, कानून और व्यवस्था बनाये रखने का प्रमुख कर्त्तव्य है प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वाह जिन साधनों, संगठनों एवं संस्थाओं के माध्यम से करता है उनमें पुलिस संस्था सबसे प्रमुख है यह कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी यदि यह कहा जाए कि पुलिस प्रशासन समाज में न केवल सुरक्षा वरन् स्थापित्व प्रदान करने हेतु ढाल व सुरक्षा चक्र का कार्य करता है। अनादिकाल से ही पुलिस का अस्तित्व समाज में बना हुआ है व पुलिस विहिन समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है वर्तमान युग में पुलिस प्रशासन ही भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

पुलिस व्यवस्था आज प्रत्येक नागरिक को चाहे वह नगर अथवा ग्रामीण क्षेत्र का हो समान रूप प्रभावित करती है जमीनीस्तर पर कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, ए.एस.आई., सब इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर इत्यादि पुलिस कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जनता के सम्पर्क में आते हैं। इनकी वाणी, व्यवहार एवं निष्ठा अथवा लक्षणों का अभाव

* शोधार्थी, महात्मा ज्योतीराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

जनता के पुलिस एवं सामान्य प्रशासन दोनों के प्रति दृष्टिकोण को नियमित करता है। नागरिकों के मस्तिष्क में पुलिस का बिम्ब आज नकारात्मक एवं असध्योगात्मक दिखाई देता है। इस नकारात्मक दृष्टिकोण के लिए कई कारण उत्तरदायी है इन समस्याओं के विद्यमान रहते भी पुलिस व्यवस्था समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है एवं इसका कुशल एवं प्रभावी संचालन राष्ट्र के व्यापक हितों व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु परम आवश्यक हैं।

पुलिस व्यवस्था का कुशल संचालन कांस्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक सभी का समान उत्तरदायित्व है प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की निष्ठा, लग्न एवं कुशलता का योगदान पुलिस तन्त्र को समाज में उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है उच्च अधिक अधिकारियों का कुशल नेतृत्व, नियन्त्रण एवं दृष्टिकोण पुलिस को प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाता है।

पुलिस का शाब्दिक अर्थ

पुलिस शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हुए भी परिभाषा विहिन है इस शब्द को किसी भी पुलिस नियम व अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा में पुलिस शब्द की परिभाषा अवश्य दी गई लेकिन वस्तुतः इसे पुलिस नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह पुलिस के शाब्दिक अर्थ को प्रकट नहीं करती है।

पुलिस के कर्त्तव्यों, अधिकारों, दायित्वों एवं उसकी शक्तियों के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को पुलिस की संज्ञा दे सकते हैं जो किसी भी नियम, अधिनियम, आदेश, अध्यादेश अथवा विधि के अन्तर्गत समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक शक्तियों को प्रयोग करने हेतु अधिकृत हो, अपराधों का अनुसंधान करने की शक्तियॉ रखता हो एवं समाज की सुरक्षा तथा अपराधों के निवारण का दायित्व हो।

पुलिस शब्द की शाब्दिक व्याख्या इस प्रकार हैः–

पी	पोलाइट	विनम्र
ओ	ओबिडेंट	आज्ञाकारी
एल	लोयल	विश्वासपात्र
आई	इन्टेलीजेन्ट	बुद्धिमान
सी	करेजियस	साहसी
ई	एफिसियेन्ट	दक्ष

अतः इन शब्दों से स्पष्ट है कि एक पुलिस अधिकारी में उपरोक्त गुणों, लक्षणों का समावेश होना चाहिए, तभी वह कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सफल हो सकता हैं।

सामाजिक विकास में पुलिस की भूमिका

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में रहता है जैसे–जैसे समाज का विकास होता गया वैसे–वैसे समस्याओं का सामना होना स्वभाविक हैं इसमें पुलिस की भूमिका अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि समाज में टकराव, साम्प्रदायिक, क्लेश, दंगा–फसाद आदि तनावों को शान्त करने व कानून व्यवस्था बनाये रखने की भूमिका में पुलिस प्रशासन की आवश्यकता महसूस की गई साथ ही पुराने रीति रिवाजों को बदलना, नयें कानून को लागू करना, बाल–विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बन्धुआ मजदूर व्यवस्था, साम्प्रदायिक दंगों, छूआछूत आदि को काफी हद तक समाज से दूर करने का श्रेय पुलिस को है।

पुलिस प्रशासन की आर्थिक विकास में भूमिका

जब पुलिस प्रशासन समाज में शान्ति व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से बनाये रखता है तो आर्थिक विकास सम्भव हो जाता है राज्य की उन्नति के लिए आर्थिक विकास होना अत्यधिक आवश्यक है आर्थिक विकास में पुलिस की प्रत्यक्ष रूप से कोई न होकर अप्रत्यक्ष रूप में पुलिस की भूमिका होती है इनके द्वारा राज्य में शान्ति व्यवस्था कायम रखी जाए जिससे आर्थिक विकास सम्भव हो।

पुलिस प्रशासन की राजनैतिक विकास मे भूमिका

लोक सभा व विधानसभा चुनावो के समय पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है यदि पुलिस राजनेताओं के मध्य अपना हस्तक्षेप न करें तो शान्ति व्यवस्था असंभव हो व राजनीतिज्ञों द्वारा प्रजातंत्र का उल्लंघन भी हो अतः राजनैतिक विकास में पुलिस की अहम भूमिका होती हैं।

राजस्थान पुलिस का प्रशासनिक संगठन

राजस्थान 2 पुलिस कमिश्नरेट व 7 पुलिस रेन्ज में बटॉ हुआ है जो 40 जिला पुलिस जो 171 पुलिस सर्किल में जो 709 पुलिस स्टेशन व 788 आउट पोस्ट में विभाजित है अर्थात राजस्थान राज्य 2 कमिश्नरेट, 7 रेन्ज – 40 जिला पुलिस, 171 सर्किल पुलिस–709 पुलिस स्टेशन, 788 आउट पोस्ट।

कमिश्नरेट – 2 (1) जयपुर (2) जोधपुर

रेन्ज – (1) जयपुर रेन्ज (2) अजमेर रेन्ज (3) जोधपुर रेन्ज (4) कोटा रेन्ज (5) उदयपुर रेन्ज (6) बिकानेर रेन्ज (7) भरतपुर रेन्ज

राजस्थान पुलिस

पदसोपान व्यवस्था

- राज्य स्तर – पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.)
- कमिश्नरेट एण्ड रेन्जेज – इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आई.जी.पी.)
- जिला पुलिस – जिला सुपरिडेन्ट ऑफ पुलिस (एस.पी. व डी.एस.पी.)
- पुलिस सर्किल – सर्किल इन्सपेक्टर (सी.आई.)
- पुलिस स्टेशन – स्टेशन हाऊस अधिकारी (एस.एच.ओ.), रेन्ज इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर (एस.आई.) व सहायक सब इन्सपेक्टर (ए.एस.आई.)
- आऊट पोस्ट – हैड कांस्टेबल व कांस्टेबल

पुलिस को प्रायः कानून की भुजा कहकर सम्बोधित किया जाता है क्योंकि उसे कानून द्वारा निर्धारित कर्त्तव्यों का निष्पादन करना होता है पुलिस व जनता का सम्बन्ध एक सेवक व स्वामी का है। इसी कारण पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह जनता के हितों के जनमाल की रक्षा करें, अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों को न्यायालय द्वारा दण्डित करवायें आदि। जिससे समाज में शांति का वातावरण बन सके।

आज के प्रगतिशील युग में जनता व पुलिस के मध्य कुछ कटुता के सम्बन्ध पाये जाते है, इसका मूल कारण यह है कि गत वर्षो में पुलिस द्वारा जनता के साथ उचित व्यवहार नहीं किये जाने के कारण दोनों के मध्य एक तनाव की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सामान्यतः पुलिस अपने कर्त्तव्य का पालन करती है, व नियमबद्ध कार्य करने के कारण कई मर्तबा वह कार्य उसे अप्रिय बना देते है।

मनुस्मृतिकार ने जहॉ एक ओर यह लिखा है कि "अन्यायी मनुष्य को अपराध के अनुसार ही दण्ड देना चाहिए" वही यह भी लेख है कि 'वह दण्ड देश, काल, शक्ति और विद्या का विचार करके देना चाहिए। उनके मतानुसार दण्ड का सार्थक प्रयोग होना चाहिए, जब दण्ड का प्रयोग विवेकपुर्ण ढंग से नहीं किया जाता है तो वह दण्ड देने वाला व अपराधी दोनों को विनिष्ट कर देता है एवं जनता में रोष व अशान्ति उत्पन्न करता है। वर्तमान समय में पुलिस व जनता के सम्बन्धों को सुधारनें का काफी प्रयास आधुनिक तरिकों द्वारा किया जा रहा है।

साहित्य का पुनरावलोकन

- श्रीमती सुमन शेखावत द्वारा लिखित "पुलिस प्रशासन" है जिसमें पुलिस जनता के सम्बन्ध का सकारात्मक पहलु बताया गया है।
- विमल प्रसाद राय द्वारा लिखित 'पुलिस और समाज भी एक (मनोवैज्ञानिक विश्लेषण)' है जिसमें पुलिस व जनता सम्बन्धों को दर्शाया गया है तथा जनता व पुलिस के सम्बन्धों का विश्लेषण किया गया है।

- कु. राजेन्द्र राजावत द्वारा लिखित "पुस्तक चिन्तन" है जिसमें पुलिस का बढता महत्व व विकास को समझाया गया है तथा समाज में पुलिस की बढती भूमिका को बताया गया है।
- ए. के. पाण्डे द्वारा लिखित पुस्तक "डवलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड द लोकल पुलिस" में पुलिस और विकास अर्थात विकास में पुलिस की भूमिका को बताया गया है। समाज में विकास तभी संभव है जबकि शान्ति व कानून व्यवस्था बनी हो।
- लुइस ए. रेडीलेड द्वारा लिखित पुस्तक "द पुलिस एण्ड द कम्युनिटी" पुलिस व समाज के विभिन्न सम्बन्धों पर समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालती है तथा पुस्तक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का विशेष उपयोग करते हुए पुलिस–जनता सम्बन्धों में विचारणीय हैं।

शोध व प्रविधि व स्त्रोत

- सूक्ष्म स्तरीय अध्ययनः– प्राथमिक स्त्रोत को एकत्रित करने में होने वाले आर्थिक व्यय एवं सीमित समयावधि के कारण अध्ययन क्षेत्र के विस्तार को सीमित रखना उचित समझा गया।
- अनुभाविक अध्ययनः– प्रस्तुत अध्ययन आनुभाविक है। नवीन तथ्यों के संकलन के उद्देश्य से स्वयं जाकर अध्ययन किया गया एवं तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया।
- विश्लेषणात्मक अध्ययनः– प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही स्त्रोतों पर आधारित है पुलिसकर्मियों की आंतरिक दृष्टि एवं जनता की बाह्य दृष्टि से सम्बन्धित तथ्य संग्रहित कर तत्पश्चात् तथ्यों का विश्लेषण किया गया। इस हेतु 200 पुलिसकर्मियों व 200 सामान्य जन से सम्पर्क किया गया। इस हेतु देव निदर्श पद्धति का प्रयोग किया गया। पुलिस का जनता से सम्बन्ध जानने हेतु हमने द्वितीयक स्त्रोत का प्रयोग किया।

अध्ययन की आवश्यकता व महत्व

वर्तमान युग विकास का युग है और विकास तभी संभव है जब किसी राज्य में आन्तरिक शान्ति व्यवस्था बनी रहे यह तभी संभव है जबकि पुलिस व जनता के मध्य सकारात्मक अवधारणा हो। अतः पुलिस प्रशासन में पुलिस व जनता के मध्य सकारात्मक सम्बन्धों का वर्णन करना ही शोध का मुख्य उद्देश्य होगा।

यह शोध आने वाले समय में लाभकारी होगा :–

- राजनीति विज्ञान व लोकप्रशासन के लिए
- समाजशास्त्र के लिए :– पुलिस का जनता के साथ सम्बन्ध समाज शास्त्र का भी अध्ययन का विषय हैं।
- निति निर्धारण की दृष्टि से :– यह निति निर्माण करने से सम्बन्ध व अन्य क्रियाओं के लिए जो पुलिस–जनता सम्बन्धों में अधिक व गहन जानकारी प्राप्त करना चाहते है।
- पुलिस से सम्बन्धित प्रशासको के लिए भी यह अध्ययन लाभकारी है क्योंकि इसके मूल्यांकन व सुझावों से व निष्कर्षों से पुलिस प्रशासन में आवश्यक सुधार करके कुशल प्रभावी व जनपयोगी बना सकते है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते है व जो कि पुलिस सेवा में भर्ती होना चाहते है उनके लिए भी लाभकारी है।
- जनता के लिए भी उपयोगी है इस शोध के माध्यम से पुलिस के बारे में गलतफहमियॉ दूर होती है और पुलिस की ओर सकारात्मक रूख अदा करती है।

इस शोध कार्य में यहॉ सुस्पष्ट करने का प्रयत्न किया जायेगा कि पुलिस प्रशासन मे पुलिस जनता का सम्बन्ध एक सकारात्मक पहलू हो व पुलिस समाज में आंतरिक शान्ति व कानून व्यवस्था बनाए रखे तथा जनता भी पुलिस पर विश्वास कर पुलिस के कार्यो में सहयोग करे जिससे देश विकसित की श्रेणी में आ सके। पुलिस प्रशासन में पुलिस जनता सम्बन्धों के बारे में अध्ययन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों के सहयोग से ही राज्य में आन्तरिक व्यवस्था बनी रहेगी जिससे राज्य का विकास सम्भव है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पुलिस प्रशासन के अन्तर्गत पुलिस की भूमिका, स्थिति एवं दृष्टिकोण समझकर जनता में आत्मशक्ति एवं आत्मविश्वास की दशा की मनोवृति का अध्ययन कर पुलिस नीति के लिए बनाई जा रही योजनाओं में सहयोग प्रदान करना व इसके साथ अन्य उद्देश्य निम्न है –

- 'सेवार्थ कटिबद्धता' जो सम्पूर्ण उद्देश्य कर्त्तव्य की व्याख्या करता है।
- समाज व जनता में शान्ति व्यवस्था।
- जनता की समस्याओं का समाधान करना।
- जनता का पुलिस पर विश्वास करवाना।
- पुलिस व जनता सम्बन्ध।
- पुलिस कर्मियों तथा जनता के दृष्टिकोण को जानना।
- पुलिस प्रशासन के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों को रेखांकित करना।
- समस्याओं के सुझााव प्रस्तुत करना।

प्राकल्पनाएँ

- भारत में पुलिस व जनता के बीच परस्पर विश्वास की कमी है तथा पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। सामान्य जनता पुलिस की कार्यप्रणाली से अंसतुष्ठ है व उन्हें भ्रष्टाचार आदि की शिकायत है।
- पुलिस कर्मचारी अपनी कार्य दशाओं वेतन, भत्तों, सुविधाओं से संतुष्ठ नहीं है। इसका प्रभाव उनकी कार्य दक्षताओं पर पडता है।
- निष्कर्षः– इस शोध पत्र में राजस्थान की पुलिस प्रशासन की भूमिका तथा पुलिस का जनता से सम्बन्ध सकारात्मक अवधारणा का अध्ययन किया गया है इस अध्याय के अन्तर्गत अध्ययन का महत्व, शोध–प्रविधि व स्त्रोत, उद्देश्य, अध्ययन की आवश्यकता व महत्व, साहित्य का पुनरावलोकन, प्राकल्पनाएँ, पुलिस प्रशासन में सुधार व सुझाव देतें हुए पुलिस किस प्रकार से समाज में जनता से सम्बन्ध स्थापित करती है का विवेचन किया गया हैं।

पुलिस जनता सम्बन्ध :– आवश्यकता

पुलिस और जनता के बीच मैत्रीपूर्ण एवं स्वैच्छिक सम्बन्ध प्रजातांत्रिक प्रणाली की मूलभुत आवश्यकता है। यही नहीं प्रजातांत्रिक प्रणाली की सर्वांगिण सफलता के लिए पुलिस जनता सम्बन्धों को मजबूत स्तम्भ के रूप में स्वीकार किया गया है इस अवधारणा को समझने हेतु सबसे ज्यादा आवश्यकता पुलिस की है ऐसा इसलिए है कि पुलिस को ही जनता की समस्याओं से निपटना होता है। जनता की समस्याओं को समझने व उनका तार्किक तरीके से समाधान करने के लिए गहरी संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है दोनों के बीच सामुदायिक बोध पहली शर्त है। दोनों को पारस्परिक रूप से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु ईमानदारी से प्रयत्न करने होगें तथा तत्संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए मिलजुलकर प्रयास करने होगें जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति का मार्ग सुगम होगा। पुलिस जनता सम्बन्धों के जरिये पुलिस और जनता दोनो में एक दूसरे के प्रति सम्मान व पारस्परिक अन्तःक्रिया पैदा की जाती है पुलिस व जनता दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते है।

कानून व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन और सामाजिक परिवर्तन की ठीक सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरी ओर प्रभावी कर्त्तव्यपालन एवं विभिन्न कार्यो के समुचित संपादन क्रियान्वयन के लिए पुलिस को भी नागरिकों के सहयोग की जरूरत रहती है। पुलिस की सभी समस्याओं के समर्थन के लिए जनता का सही समर्थन मिले। पुलिस को हर पल एवं कदम–कदम पर नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता होती है। अपराधों की रोकथाम हो या अनुसंधान का कार्य या सूचनायें एकत्र करने का कार्य हो, जन सहयोग की निरन्तर एवं तत्कालीन जरूरत हमेशा बनी रहती है। सैद्धान्तिक रूप से पुलिस का प्रत्येक सिपाही जनता की मनोकामनाओं तथा मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है इसलिए पुलिसकर्मियों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन मनोकामनाओं के अनुरूप अपने आप को बनाये। सत्ता व समाज के बीच सार्थक

सम्बन्ध बनाने में पुलिस महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है। ज्यों–ज्यों मनुष्य का वैज्ञानिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में विकास होता जायेगा वैसे–वैसे ही पुलिस जनता सम्बन्धों का महत्व भी बढता जायेगा।

भारतीय समाज के विभिन्न वर्गो, समुदायों तथा घटकों के बीच उपस्थित विस्फोटक संबंध तथा स्थितियों के कारण कानूनों को लागु करने के संबंध में नये बोध का उदय हो गया हैं इस नवीन बोध के आधार पर इस बात की तीव्र आवश्यकता है कि पुलिस जनता संबंधों का ईमानदारी से अन्तरावलोकन किया जाये।

वर्तमान में पुलिस जनसम्पर्क एवं छवि

'सत्यमेव जयते' एवं 'हमारे योग्य सेवा' राजस्थान के सभी थानों पर अंकित है, परन्तु यह विडम्बना है कि आजाद भारत का आम नागरिक थाने में जाने से हिचकिचाता है, घबराता है, थाने में उसे लुटने या पिटने का डर है। राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य 'सेवार्थ कटिबद्धता' फिर भी आम आदमी थाने को उत्पीडन व आंतक का अड्डा मानता है। आज व्यक्ति जितना अपराधी से डरता है उतना ही पुलिस से डरता है। यहॉ तक की अपने साथ घटी छुट–पुट घटना की सूचना व एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं करवाना चाहता हैं। पुलिस की धुमिल छवि के कई कारण बनते हैः– जैसे पुलिस हिरासत में मौत, निर्दोषों को लॉकअप में डालना, कानून व्यवस्था बनाने में लापरवाही आदि जैसी स्थिति पुलिस की छवि को प्रभावित करती है जो आम जनता पर असर डालता है और अंततः यह पुलिस व पुलिस थानों का नाम तक अपनी जुबान पर लाने से बचता हैं।

पुलिस व समाज में बढ़ती दूरी के निम्न कारण हैः–

- पुलिस व जनता शारीरिक रूप से एक–दूसरे के सम्पर्क में होते है लेकिन मानसिक रूप से यह एक दूसरे से दूर हैं।
- जनता पुलिस से सम्पर्क को टालती है और यदि अत्याधिक आवश्यक हो जाए तब ही वह पुलिस से सम्पर्क साधती हैं।
- जनता के मन में यह धारणा है कि पुलिस के पास जाने से हमारी परेशानियॉ दूर न होकर बढ़ेगी।
- पुलिस की छवि बिगाड़ने में समाचार पत्रों की नकारात्मक भूमिका रहती है।
- पुलिस को भ्रष्ट बनाने में जनता की भूमिका रहती है कई लोग अपना कार्य करवाने हेतु रिश्वत देते हैं।
- पुलिस द्वारा अमानवीय पद्धतियों जैसे थर्ड डिग्री का इस्तेमाल अपराधियों से अपराध कबूल करवाने के लिए किया जाता हैं।
- पुलिस जनता से व्यवहार करते समय अपने कर्त्तव्य की ओर अधिक ध्यान देती है तथा मानवीय पक्ष को नजरअंदाज करती हैं।
- पुलिस कार्यो में राजनैतिक हस्तक्षेप होता है जिससे अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को असफलता हाथ लगती हैं।
- पुलिसकर्मियों की कम वेतन, राजनीतिक हस्तक्षेप एवं कठोर कार्य परिस्थितियों के कारण मनोबल में गिरावट।
- पुलिस के कार्यो की प्रकृति :– पुलिस को कठोरता का रूप अपनाना पड़ता है। पुलिस की कार्य प्रणाली में संदेह करना प्रमुख तत्व हैं। पुलिस जब किसी कार्य हेतु जॉच पडताल करती है तो सम्भावनाओं का पता लगाना होता है जिसका आधार सन्देह करना है जो पुलिस को जनता से दूर करता है।
- पुलिस कर्मियों के लिए उचित प्रशिक्षण का अभाव :– पुलिस की कार्यप्रणाली मूलरूप से भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है तथा प्रशिक्षण प्रक्रिया भी औपनिवेशिक पद्धतियों से ही चल रहा हैं।
- भ्रष्टाचार के कारण पुलिस के प्रति जनता का दृष्टिकोण अच्छा नहीं हैं।
- पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण अधिकतर लोगों का मानना है कि पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करती हैं।

- पुलिस पर अपर्याप्त नियन्त्रण भी एक सत्य है व पुलिस थानों में जो पुलिसकर्मी होतें, उनकी संख्या उच्च अधिकारियों के अनुपात मे अधिक होती हैं।
- पुलिसकर्मियों में संवेदनशीलता का अभाव होता हैं।
- पुलिस की छवि को खराब करने में गलत धारणाओं की निरन्तरता का भी महत्वपूर्ण योगदान हैं।
- पुलिस जनता में बढ़ती दूरी का यह भी एक प्रमुख कारण है कि पुलिस सेवा में उचित सम्मान में कमी हैं।

पुलिस जनता सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है

जब तक पुलिस पहले अपनी प्रतिष्ठा को नहीं सुधारेगी तब तक जनता के साथ में उसके अच्छें सम्बन्ध नहीं बन पायेंगें। पुलिस को अपनी भूमिका का निर्वाह व्यक्तियों की सहायता से करना पड़ता है। अतः पुलिसकर्मियों के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्तिगत गुणों का विकास करें अपने औपचारिक व्यवहार में पुलिसकर्मी को शिष्टाचारी होना चाहिए ताकि जनता में उसकी छवि सदाचारी की हो सकें। पुलिस अधिकारी जनता के साथ साक्षात्कार के लिए सहज सुलभ रहें। आगन्तुको के प्रति धैर्यवान व नितिवान हो।

यह सभी जानते है कि पुलिस व जनता एक दुसरे के पूरक हैं। वास्तव में ये दोनों समाजरूपी गाडी के दो पहियें है। इन दो पहियें में से किसी एक के खराब होने से स्थिति खराब होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। पुलिस में सुधार की शुरूआत पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर निर्भर करता है यदि उच्च अधिकारी कार्यकुशल व व्यवहारिक है तो अधिनस्थों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाकर सुधार कर सकतें हैं। इस तरह व्यवहार व आचरण के जरिए अपराधों पर कुशल नियंत्रण करते हुए पुलिस अधिकारी अपने कार्य को सुधार सकते है जिससे अच्छें परिणाम सामने आयेंगें। पुलिस जनता के सम्बन्धों में सुधार निम्न प्रकार :–

- कुशल नेतृत्व :– कुशल व्यक्ति, कुशल नेतृत्व संगठन को बदल सकता हैं।
- भ्रष्टाचार निरोधी व्यवस्था :– पुलिस संगठन भ्रष्टाचार निरोधी व्यवस्था लागू कर पुलिस व समाज की बढ़ती दूरी को कम किया जा सकता हैं।
- सेवाभावी छवि बनें :– पुलिसकर्मी का महत्वपूर्ण गुण सेवाभावी व कार्य निष्पादन में निष्पक्ष हो।
- पुलिस व्यवहार में नम्रता व दृढ़ता आवश्यक है :– जिससे पुलिस व आमजन के रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है।
- अपराधों का पुलिस थानों में तुरन्त पंजीकरण किया जाए तथा तीव्रता से कार्यवाही की जाए :– जिससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो और पुलिस की मदद करें।
- दोहरा नियंत्रण :– पुलिसकर्मियों पर एक ओर उच्चअधिकारियों का व दूसरी ओर नागरिक सेवा के अधिकारियों का नियंत्रण होता है अतः यह दोहरा नियंत्रण खत्म किया जाना चाहिए।
- स्वायत्तता का अभाव :– जिससे रोजमर्रा के कार्यो में बडी बाधायें आ जाती हैं।
- प्रक्रियात्मक सुधार :– पुलिस जनता सम्बन्धों में सुधार हेतु आवश्यक है कि पुरानें कालातीत, अप्रचलित नियम व अधिनियम की जगह नयें नियम व अधिनियम बनाये जाए बदली हुयी परिस्थितियों के अनुरूप हों।
- पुलिस में कार्मिक सुधार :– पुलिस जनता सम्बन्धों में सुधार हेतु पुलिस का कार्मिक प्रशासन अहम भूमिका अदा करता हैं।

कार्मिक प्रशासन में सुधार हेतु सुझाव

- भर्तीः– दोषपूर्ण भर्ती प्रणाली को बदलकर योग्य व्यक्तियों को शामिल किया जाए।
- प्रशिक्षणः– प्रशिक्षण पुरानी पद्धति पर आधारित है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नए विषयों तथा जनसम्पर्क, मनोविज्ञान व नवीनता पर आधारित हो, प्रशिक्षण उपकरण भी आधुनिक हो, प्रशिक्षण के दौरान ही पुलिसकर्मियों को पुलिस जनता सम्बन्ध की जानकारी देनी चाहिए।
- सेवा शर्तेः– पुलिस सेवी वर्ग अपनी कठोर सेवाशर्तो व कम सुख–सुविधाओं के कारण परेशान रहते हैं। अतः पुलिस सेवा शर्तो में सामयिक सुधार किया जाऐ

- पदोन्नतिः– पदोन्नति के अवसर कम होने के कारण पुलिसकर्मियों में भेदभाव पनपता है अतः पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जाए
- समाचार पत्रों की भूमिका :– समाचार पत्रों में पुलिस के कार्यो का उचित मूल्यांकन व सराहना की जाए तो आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा व जनता पुलिस के कार्यो में सहयोग करेगी।
- पुलिस द्वारा अमानवीय पद्धतियों का परित्याग :– पुलिस को जनता के साथ मानवीय पद्धति अपनानी चाहिए तथा अनुसंधान के वैज्ञानिक उपकरणों, संसाधनों एवं तरीको का इस्तेमाल कर अपराधी से अपराध कबूल करवायें।
- जनता भी अपना सहयोग दे :– जनता खुल कर पुलिस का सहयोग करें।
- पुलिस की भ्रामक छवि बदलनी होगी :– समाज को यह समझना होगा कि पुलिस एक सहयोगी संगठन है जो हर व्यक्ति की मदद के लिए। शांति समितियों को पुलिस व जनता की दूरी कम करने हेतु कोशिश करनी चाहिए। सामाजिक संस्थाओं को पुलिस के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए।
- पुलिस अधिकारियों का उचित सम्मान :– पुलिस अधिकारियों का उचित सम्मान किया जाए ताकि कार्य करने के प्रति इनका मनोबल बढ़े।
- पुलिस कार्यो पर वृत्त चित्र बनाए व जनता को दिखाए।
- प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस संगठन का सिद्धान्त नियम (आर.पी.टी. 1965) सदैव याद रखना चाहिए।
- पुलिस में योग्य व शिक्षित व्यक्तियों को भर्ती किया जाए ताकि वह जनता की समस्या का निराकरण उचित रूप से कर सकें।
- समय पर अवकाश व आराम देने की उचित व्यवस्था हो।

पुलिस व जनता के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है जो की एक सुरक्षित व आदर्श समाज के लिए शुभ संकेत नही है अतः सुझावों के आधार पर इस दूरी को कम किया जा सकता है।

मूल्यांकन

प्रत्येक समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व उस देश की पुलिस प्रशासन पर निर्भर होता है जितना अधिक सक्षम एवं कार्यकुशल पुलिस संगठन होगा समाज में कानून एवं व्यवस्था उतनी ही अधिक सुचारू एवं श्रेष्ठ होगी जिससे पुलिस व जनता के सम्बन्ध बेहतर होगें।

इस शोध अध्ययन में पुलिस जनता सम्बन्धों का वर्णन करते हुए उनके मध्य और निकटता कैसे लाई जा सकें इस हेतु भी यह सुझाव दिये गए क्योकि पुलिस का गठन जनता की सुरक्षा हेतु किया है इसलिए पुलिस के कर्त्तव्य है कि वह जनता के हितों से सम्बन्धित कार्य करें। यह तभी संभव है जब जनता भी पुलिस का सहयोग करें, इस अध्ययन के माध्यम से उच्च अधिकारियों व समाज के गणमान्य नागरिकों से साक्षात्कार द्वारा पुलिस व जनता के मध्य सुधार कैसे जानने का प्रयास किया तथा अधिकारियों व गणमान्य नागरिकों के द्वारा इस संबंध मे दिए गए सुधार हेतु सुझाव निम्न प्रकार है।

पुलिस प्रशासन में सुधार हेतु सुझाव

- पुलिस संगठन में सुधार तभी संभव है जब कि संगठन का उच्च अधिकारी ईमानदार, कार्यकुशल, न्यायप्रिय, समय का पाबन्द, कर्त्तव्यनिष्ठ, निष्पक्ष तथा व्यवहार कुशल होगा तो वह अपने अधिनस्थ अधिकारियों को भी बदल देगा वह अपने व्यवहार से अधिनस्थो को व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है।
- पुलिस संगठन में कार्मिक सुधार आवश्यक हैः– जो निम्न तरिको में सुधार करके किया जा सकता है 1 प्रशिक्षण 2 प्रदोन्नति 3 सेवाशर्तो ।
- पुलिस संगठन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिएः– इसके लिए योग्य व कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है।

- राज्य में त्वरित पुलिस कार्यबल की आवश्यकता :– जो कि आपराधिक मामलो पर काबू पा सकें।
- पुलिस ओम्बडसमैन की नियुक्तिः– ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कि जाए जो आरोप–प्रत्यारोप को कम करके शान्तिपूर्ण वातावरण बना सकें।
- राज्य के थानों व नियन्त्रण कक्षों का आधुनिकीकरणः– जिससे राज्य की बढ़ती हुई जनसमस्याओं व कानून व्यवस्था के सक्षम चुनौतियों का निवारण किया जा सकें।
- पुलिस सेवा में कर्मचारियों तथा अधिकारियों को उचित सम्मान देकर।

पुलिस महानिदेशक के पद व कार्यालय में सुधार हेतु सुझाव

- तर्कसंगत व युक्तियुक्त स्वायत्तता
- वरिष्टता के आधार पर योग्य व कुशल अधिकारी की नियुक्ति
- सुरक्षित कार्यकाल
- राजनैतिक हस्तक्षेप का न होना
- अच्छा आर्थिक कोष
- नीचे के स्तरो पर काम काज में उचित मूल्यों की कार्य संस्कृति का विकास करके विभाग में कार्यकुशलता बनाये रखना
- पुलिस महानिदेशक विभाग के अन्दरूनी मामलों में निष्पक्ष, बिना भेदभाव के, जातिवाद के बिना निर्णय लेने की क्षमता रखना

शोध में वर्णित सिफारिशों की सूची पूर्ण नही है। अनेक और भी समयानुसार समस्याएँ व सुझाव हो सकते है। उक्त अध्ययन में दिए गए सुझाव सामान्यीकृत नहीं है किन्तु फिर भी काफी उपयोगी व महत्वपूर्ण है जो कि राजस्थान में पुलिस प्रशासन को अधिक कार्यकुशल व जनता के प्रति व्यवहारकुशल व संवेदनशील बनाने में उपयोगी होगें और यह ग्रन्थ उनके लिए महत्वपूर्ण होना जो इस विभाग व कार्यालय के बारे में गहन अध्ययन करना चाहते है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- श्रीमती सुमन शेखावत (2009) ''पुलिस प्रशासन'' महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकश शोध केन्द्र जोधपुर
- मेहरा, ए .के. (2003) '' बदलते भारत में पुलिस'' नई दिल्ली
- वर्मा, अरविन्द (2017) नई खाकी सी आर सी प्रकाशन
- एस.एल. गोयल (2016) पुलिस व कानून व्यवस्था प्रकाशन
- पुलिस गाइड '' राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर
- शंकर सरोलिया '' भारतीय पुलिस के नए आयाम''
- मार्बह, वेद (1998) ''पुलिस व सुशासन '' लोक प्रशासन का भारतीय जर्नल, नई दिल्ली, उषा प्रकाशन
- राजस्थान पुलिस पत्रिका, जनवरी–मार्च (1963)
- राजस्थान पुलिस पत्रिका, अक्टूबर–दिसम्बर (1968) (पुलिस व जनता)
- राजस्थान पुलिस (वार्षिक प्रतिवेदन 1999) राजस्थान पुलिस मुद्रणालय, जयपुर

❖◆❖